राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

आंगनबाडी कार्यकृत्री बीमा योजना

(आंगनबाडी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु
"आंगनबाडी कार्यकृत्री बीमा योजना" पर विस्तृत टिप्पणी)

भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामुहिक बीमा योजना "आंगनबाडी कार्यकृत्री बीमा योजना" संचालित की जा रही है।

इस योजना में देशभर में सभी आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है शामिल हैं। इस योजना में सम्मिलित होने हेतु आंगनबाडी कार्यकृत्री एवं सहायिकाओं को प्रतिवर्ष रूपये 80/– देने होते है, जिसे दिनांक 31.03.2015 तक माफ किया गया है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत सभी प्रीमियम भारत सरकार तथा एल.आई.सी. द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा वहन किए जा रहे है।

इस योजना का उद्देश्य आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका को बीमा सुरक्षा एवं महिलाओं से संबंधित होने से उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। पूर्व में विभागीय पत्र दिनांक 28.07.2005 के द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परियोजना स्तर पर तथा उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी घोषित किया जा चुका है। भारत सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार जैसे ही कोई महिला आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के पद पर कार्य ग्रहण करती है तो वह इस योजना के तहत स्वतः ही सदस्य बन जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत बीमित सदस्यों को मिलने वाले लाभ निम्नानुसार हैः–

प्राकृतिक मृत्यु होने पर	30000/– रूपये
दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर	75000/– रूपये
दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता होने पर	37500/– रूपये
महिलाओं की गंभीर बीमारी होने पर	20000/– रूपये

महिलाओं की गम्भीर बीमारी

नीचे बताए गए अंगों में (जीवन बीमा निगम के संतोषजनक प्रमाण के अधीन) कैंसर (प्राणघातक ट्यूमर) के स्पष्ट लक्षण नजर आने पर 20,000 की राशि अदा की जाएगी।

1. छाती, 2. सेरविक्स यूटेरी, 3. कॉपर्स यूटेरी, 4. अंडाशय 5. फालोपियन ट्यूब तथा 6. योनि/वूल्वा

अतिरिक्त निःशुल्क छात्रवृति
इस योजना में सभी बीमित सदस्यों के अधिकतम दो बच्चों को, कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने के दौरान, प्रत्येक बच्चा छःमाही 600/–रूपये की छात्रवृति प्रदान की जायेगी।

योजना के अन्तर्गत दावों का प्रस्तुतिकरण
योजना के अंतर्गत मिलने वाले समस्त हितलाभ के लिए नोडल एजेंसी के माध्यम से क्लेम फार्म (प्रति संलग्न) भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन एवं समूह बीमा, जयपुर की शाखा को भेजने हैं। हितलाभों को प्राप्त करने के लिए दावेदार के बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड) देना होगा, जिससे हितलाभ की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम की वेबसाईट पर सामाजिक सुरक्षा के तहत सामाजिक सुरक्षा की बीमा योजनाओं में जनश्री बीमा योजना के तहत इस योजना का विवरण भी उपलब्ध है। (www.licindia.in/Hindi/products/social_securities_001_features.htm) **विस्तृत विवरण हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम में दूरभाष संख्या** 0141–2743761/2745866/2745874 फैक्सः 0141–2747057, e-mail: bo_g104@licindia.com **पर भी संपर्क कर सकते है।**

योजना का संक्षिप्त विवरण तथा दावा फॉर्म का प्रारूप प्रेषित करते हुए योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यकर्ता/सहायिका का दावा भराऐं। आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका की मृत्यु के 6 माह के भीतर–भीतर मृत्यु दावा निर्धारित प्रपत्र में भरकर भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन एवं सामुहिक बीमा जयपुर की शाखा को प्रेषित करें।